

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चन्द्रपुरा (बोकारो) ।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1943 का नियम 129)

जिला बोकारो, द संख्या 16 / 2014
केस का अमीन मापी

40

आदेश की
क्रम सं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

21.5.14

सी-खण्ड के निवा. संयुक्त निदेशक, (मा० व०) मू-कमल
कार्जुन, द० द्या० नि० चन्द्रपुरा गाव विद्युत चैनल परियोजना
के अतिरिक्त जमीन की बीजों. सत्यापन हेतु सार्वजनिक
जमीन की प्रतिनिधित्व हेतु अग्रपंथ दिया गया है।
अंमल जमीन के प्रतिवेदन की जांच करें।

अंमल अधिकारी
चन्द्रपुरा

सेवा में

विमान अंचल अधिकारी महोदय
—चन्द्रपुरा

विषय:- D.V.C में हो दिनों कि प्रतिनिधित्व किसे जाने पर जाँच
प्रतिवेदन

महोदय

कार्य के आदेशानुसार मैं दिनांक 28.5.14 को D.V.C के आदेश के अनुसार कार्यलय गये। कार्यलय में मुझे बताया गया कि D.V.C के भूमी पर वन विभाग द्वारा कुछ कचरा गिरा पर रोक लगा दिया है। इस लिए स्थल जाँच कर ~~मैंने~~ D.V.C का भूमी को माफ़ी करना होगा। मैंने दिनांक 29.5 को जाँच करने का समय निर्धारित किया गया।

दिनांक 29.5.14 को D.V.C के स्टेशन अफसर एवं सर्वेयर श्री आलोक दत्त स्थल पर ^{गये} जो मौजा राजा केडा (लॉट नं. 185) पर D.V.C द्वारा कुछ कचरा गिराया जा रहा था।

स्थल जाँच के बाद मैंने स्टेशन अफसर एवं सर्वेयर आलोक दत्त जी से अधिष्ठीत किसे गये भूमी का कागजात एवं मौजा का मैप माँग लिये। उनके द्वारा बताया गया कि मैप का कॉपी जे.डी.एस. के.के.एस. से करने के बाद कागजात उपलब्ध करा देंगे।

परन्तु आज तक किसी तरह का कागजात उनके पास उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस लिए माफ़ी का कार्य नहीं हो सका।

अब उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विष्णुदास भाजन

(Name)

36 भूमि

—चन्द्रपुरा

21/7/14